वैट क्या है?

वैट /**VAT - Value Added Tax (**मूल्य वर्धित कर) एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। क्योंकि वस्तु और सेवा उत्पादन के हर पड़ाव में मूल्य की वृद्धि होती जाती है इसलिए वस्तु के उत्पाद से लेकर बिक्री तक**,** हर पड़ाव में वैट /**VAT (Value Added Tax)** लगाया जाता है। वैट)**VAT)** किसी भी देश के **GDP (Gross Domestic Product)** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हलाकि**,** वैट)**VAT)** निर्माताओं द्वारा सरकार को भरा जाता है**,** परन्तु वास्तव में यह टैक्स **,** ग्राहक**,** वस्तु को खरीदने के समय भरते है **,** निर्माता सिर्फ कर सरकार तक पहुँचाने का काम करता है।

कोई भी व्यक्ति जो वस्तु और सेवा की आपूर्ति कर सालाना 5 लाख का टर्नओवर कमाता हो, उसे वैटवैट / VAT (Value Added Tax) भरने के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है।

भारत में वैट **(VAT)** की विशेषता:

1. वैट / VAT (Value Added Tax) उत्पादन के हर पड़ाव पर लगाया जाता है जिसकी वजह से कर की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाती है।
2. वैट / VAT (Value Added Tax) कर की चोरी और इसके प्रोत्साहन की संभावना को कम कर देता है।
3. वस्तु और सेवा की बिक्री के सबसे छोटे स्तर पर पारदर्शिता की संभावना को बढ़ावा देता है।
4. वैट / VAT (Value Added Tax) के अंतर्गत एकसमान वस्तुओं में बराबर कर लगाया जाता है।

   व्यापारी द्वारा वस्तु और सेवा की बिक्री से लिए गए कर और वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए खरीदे गए कच्चे माल पर दिए गए कर के बीच का अंतर निकला जाए तो जितनी राशि निकलेगी वह वैट / VAT (Value Added Tax) कहलाएगी।

   उद्धारण के लिए , मान लीजिये राहुल ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है जिसके लिए उसने 50,000 का कच्चा माल खरीदा, उन कच्चे माल पर राहुल को 10% कर भी भरना पड़ेगा यानि की 50,000 का 10% = 5000

   अब कच्चे माल से खाना बनाकर बेचने पर राहुल 1,00,000 कमाता है, इस कमाई पर भी राहुल को 10% का कर भरना अनिवार्य है, यानी की 1,00,000 का 10% = 10,000

   तो इस तरह कुल वैट (VAT) की राशि 10,000 – 5,000 = 5,000 हो जाती है।

   भारत में कई व्यापारियों और कंपनियों में कर चोरी का मामला सामने आया है, ऐसे में वैट / VAT (Value Added Tax) एक ऐसा माध्यम है जो कर लेने और देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखता है और कर की चोरी की संभावना को कम कर देता है।

What is CST (Central Sales Tax) – CST क्या है**?**

यह अप्रत्यक्ष कर)Tax) का एक प्रकार है जिसे माल पर लगाया जाता है जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है एक राज्य का डीलर दूसरे राज्य के खरीदार को बेचने वाली वस्तुओं पर ! CST (केन्द्रीय बिक्री कर) लगाता है.

1. जी एस टी क्या है?

Goods & Servies Tax एक **indirect Tax** है। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत बस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। **State Govt And Central Govt** दोनों में ही **GST Bill** पास हो गया है। अब 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में प्रत्येक सामान और प्रत्येक सेवा पर सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लगता है। यानी वैट, सी0एस0टी0 और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स जी0एस0टी0 टैक्स लगता है।

GST Bill आने से पहले हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेते समय या खरीदते समय अलग–अलग प्रकार के टैक्स सरकार को देते आये हैं।

किन उत्पादों पर लागू होगा जी एस टी–

संविधान के 122 वें संशोधन के मुताबिक जी एस टी सभी तरह की सेवाओं और बस्तुओं / उत्पादों पर लागू होगा। पैट्रोलियम , बिजली , शराब तथा रियल एस्टेट ये सभी जी एस टी टैक्स से बाहर हैं।

जी एस टी टैक्स का सबसे बड़ा फायदा–

जी एस टी लागू होने का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी का होगा, पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा। यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही होगी।

मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |

इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा | परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है गंतव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा।

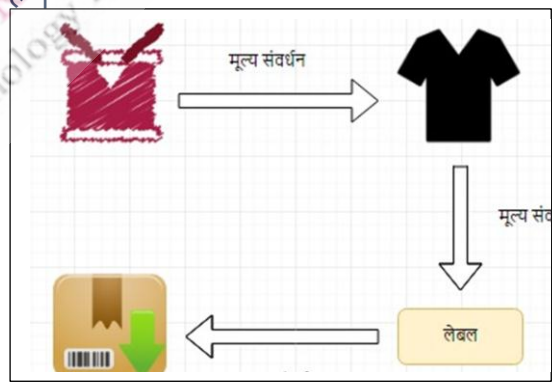

2. वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगी।

वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती।इसका एक उदाहरण आयकर है जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है | इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है।

उदाहरण

महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

महत्वपूर्ण बातें–

- जी एस टी लागू करने वाला विश्व का पहला देश – फ्रांस 1954 में।
- भारत का जी एस टी किस देश के मॉडल पर आधारित है।– कनाडा।
- भारत का जी एस टी बिल को सर्व प्रथम पारित करने वाला राज्य– असम।
- भारत में जी एस टी कब लागू किया गया– 1 जुलाई 2017 से।
- भारत में जी एस टी लागू करने का सुझाव किसने दिया– विजय केलकर समिति ने । (भारत के 13 वे वित आयोग के अध्यक्ष)
- जी एस टी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या– 33
- जी एस टी लागू करने वाला अन्तिम राज्य– जम्म कश्मीर।
- वह संविधान संशोधन जिसके तहत जी एस टी पारित किया गया– 122वा।
- जी एस टी बिल राज्य सभा में 3 अगस्त 2016 को तथा लोक सभा में 8 अगस्त 2016 को क्रम से पारित किया।
- जी एस टी विधेयक के पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 मत पड़े।
- जी एस टी बिल पर राष्ट्रपतिने अपनी मंजूरी कब दी– 8 सितम्बर 2016 को
- वार्षिक अर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए जी एस टी में रखी गई है– 20 लाख और विशेष राज्यों में 10 लाख (असम, मणीपुर, सिक्किम, त्रिपुरा)
- जी एस टी पंजीकरण संख्या में कुल डिजिट 15 हैं।
- जी एस टी की चोरी करने पर 5 वर्ष का काराबास सरकार द्वारा प्रस्तावित किया है।
- राज्यों में जी एस टी से होने वाले नुकसान का 5 वर्ष तक 100% भरपाई केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- जी एस टी की दरें कितने प्रकार की हैं– 0%, 5%, 12%, 18%, 28%
- जी एस टी किस प्रकार का कर है– अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)
- जी एस टी कितने भागों में बॉटा गया है - SGST, CGST, IGST
- 101 वे सम्बिधान संशोधन के तहत जी एस टी को सम्बिधान में जोड़ा गया।